[illegible] 2011 [illegible]
[illegible] 74 [illegible] 2012 [illegible]
[illegible] 21/02/2024 [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अनुमोदित)

मिसल संख्या 81/2011

निर्णय दिनांक 21.02.2024

उनवानी दावा :

रतनलाल पुत्र धूलीलाल जैन उम्र 90 वर्ष जाति महाजन निवासी नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

-वादी-

बनाम

1. श्रीनारायण पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0 (मृतक)

1/1– भंवरलाल पुत्र श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

1/2–प्रहलाद पुत्र श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

1/3– सुखलाल पुत्र श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक

1/4– राजू पुत्र श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक

1/5– नानी पुत्री श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक

1/6–बदाम पुत्री श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक

1/7– गीता पुत्री श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक

1/8–जेतु पत्नि स्व0 श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक

2. हरिशंकर पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ निवासी नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
3. राधेश्याम पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ निवासी नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
4. रामप्रसाद पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ निवासी नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
5. ओमप्रकाश पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ निवासी नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण–

उनवानी दावा संख्या 74/2012 उनवान:– हरिशंकर वगै. बनाम रतनलाल वगै.

उनवानी दावा:–

1. हरिशंकर पुत्र स्व. छीतरलाल जाति धाकड़ निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज)
2. राधेश्याम पुत्र स्व. छीतरलाल जाति धाकड़ निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज)
3. रामप्रसाद पुत्र स्व. छीतरलाल जाति धाकड़ निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज)

4. ओमप्रकाश पुत्र स्व. छीतरलाल जाति धाकड़ निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज)

5 श्रीनारायण पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज)

6. रामलाल पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज)

6/1. गुलाब देवी पत्नी स्व. रामलाल जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज)

6/2 प्रभुलाल पुत्र स्व. रामलाल जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज)

6/3 देवकिशन पुत्र स्व. रामलाल जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज)

6/4 ओमप्रकाश पुत्र स्व. रामलाल जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज)

6/5 अन्दोक पुत्री स्व रामलाल जाति गुर्जर निवासी नगरपोर्ट नि देवली टोंक (राज)

6/6 कंचन पुत्री स्व. रामलाल जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राजजुरे

6/7 सन्तु पुत्री स्व. रामलाल जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज)

6/8 जगदीशी पुत्री स्व. रामलाल जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज)

6/9 ममता पुत्री स्व. रामलाल जाति गुर्जर निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज)

–वादीगण–

बनाम

1. रतनलाल पुत्र धुलीलाल जाति जैन महाजन निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादी
प्रतिवादी संख्या 1, 2/1 ता 3

श्री महावीर सिंह राठोड
श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीगण
संख्या 1/1 ता 1/8 व 2 ता 4

वाद संख्याः–81/2011 उनवान रतनलाल बनाम हरिशंकर वगै.

वाद इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

–:निर्णयः–

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख. नं. 1250 रकबा 0.07 है0 गै. मु. चाह.

ख. नं. 1251 रकबा 0.23 है0 ख. नं. 1252 रकबा 0.33 है0, ख. नं. 1255 रकबा 0.30 है0, ख. नं. 1257 रकबा 0.40 है0, ख. नं. 1258 रकबा 0.55 है0, ख. नं. 1333 रकबा 0.20 है0, ख. नं. 1334 रकबा 0.28 है0, ख. नं. 1348 रकबा 1.96 है0, ख. नं. 1350 रकबा 1.30 है0, ख. नं. 1351 रकबा 54 है0, ख. नं. 1352 रकबा 0.56 है0, ख. नं. 1354 रकबा 0.08 है0, कुल किता 13 कुल रकबा 6.80 है0 वाके ग्राम नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है उक्त आराजी का वादी तनहा खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी ने अपनी उपरोक्त आराजीयात को आदोली पर काश्त करने के लिए गत वर्षों में प्रतिवादीगण 1 ता 5 को दे रखी थी किन्तु प्रतिवादी नं. 1 अत्यधिक वृद्ध 80 वर्ष का हो जाने तथा प्रतिवादी नं0 2 ता 4 का व्यवसाय कृषि नहीं होकर अन्य व्यवसाय कर लेने एवं प्रतिवादीगण द्वारा काश्त पर उचित ध्यान नही देने के कारण वादी ने इस वर्ष प्रतिवादीगण को आदोली नही दी है तथा स्वयं ने ही बैंक से ऋण लेकर ट्रेक्टर खरीद लिया है तथा स्वयं की देखरेख में ही ट्रेक्टर से खेती करवा रहा है तथा कुछ जमीन की खरार भी अपने ट्रेक्टर से कर ली है। प्रतिवादीगण का वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त से किसी तरह का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही होने के बावजूद भी उन्हें इस वर्ष उक्त जमीन की आदोली नही देने के कारण वे वादी की उक्त आराजी को काश्त करने एवं बीज बोने में व्यवधान पैदा करने लगे है तथा जब वादी अपनी भूमि पर खरार करने के लिए ट्रेक्टर लेकर गया तो प्रतिवादीगण ने एलानिया कहा कि हम उक्त भूमि पर वादी को काश्त नही करने देंगे बल्कि हम खुद ही आदोली पर उक्त जमीन को काश्त करेंगे। किन्तु वादी प्रतिवादीगण से अपनी भूमि काश्त नही करवाना चाहता है और ना ही इस वर्ष प्रतिवादीगण को वादी ने अपनी भूमि आदोली पर काश्त करने के लिए दी है फिर भी प्रतिवादीगण जबरन शक्ति के बल पर वादी की भूमि पर जबरन कब्जा कर काश्त करना चाहते है। जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे इस अनुचित कार्य के लिए उन्हें जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी सदा सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द नहीं किया गया तो प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की उपरोक्त आराजीयात पर शक्ति के बल पर जबरन कब्जा कर लेंगे तथा वादी को काश्त नही करने देंगे, व वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत करेंगे जिससे वादी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा वादी अपने जायज हक से महरूम हो जावेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना सम्भव नही होगा। बिनाय दावा आज से लगभग दो दिन पूर्व रविवार को पैदा हुआ जब वादी अपनी उपरोक्त आराजीयात की सम्भालने व देखभाल करने अपनी आराजीयात की खरार करने के लिए ट्रेक्टर लेकर गया तो प्रतिवादीगण ने वादी को उक्त खेत व आराजी की खरार करने से मना किया तथा उक्त आराजी को स्वयं द्वारा आदोली पर काश्त करने की धमकी देने से वाद कारण लगातार उत्पन्न हो रहा है। दावा तहत धारा 188, 92ए, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। विवादित आराजीयात एवं पक्षकारान का निवास स्थान ग्राम नगरफोर्ट होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिग्री किया जाकर प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी सदा सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जावे कि वे स्वयं जरिये ऐजेन्ट नोकर चाकर अथवा पारिवारिक सदस्यों के वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी जिसका पूर्ण विवरण वाद पत्र के चरण नं. 1 में अंकित है में वादी के कब्जेकाश्त, हकाई जुताई, बीज बोने

[illegible]

काटने, लाने ले जाने स्वयं के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार से कोई मजाहमत पैदा नही करे और ना ही उक्त भूमि को जबरन काश्त करे। खर्चा मुकदमा व अन्य सहायता जो वादी के हित मे हो प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/5 व 2 ता 4 की ओर से अधिवक्ता महावीर सिंह राठौड़ ने वकालतनामा व प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा व काउण्टर क्लेम भिन्न रूप से प्रस्तुत है– वाद पत्र का चरण नम्बर 1 मे आराजीयात का ग्राम नागरकोट तहसील देवली में स्थित होना सही है शेष तथ्य पूर्णतया गलत है। स्वीकार नही है। उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त लगभग 50 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है। वादी का एक इंच भूमि पर भी कब्जा व काश्त नही रहा है। वाद पत्र का चरण नम्बर 2 मे वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत है । स्वीकार नही है। प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात को गत 50 सालों से भी अधिक समय से काश्त करते चले आ रहे है। वादी ने उक्त आराजीयात जिसके खसरा नम्बरान 613, 614, 615, 626/2, 626/1, /3, 626/1/3, 626/1/2, 626/1 कुल किता 5 कुल रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा व चाह तथा इसके आस पास की सारी जमीन का 15,000 रू0 नकद रूबरू गवाहान भवर लाल व मांगीलाल प्रतिवादीगण से प्राप्त कर भूमि का कब्जा दिनाक 21.06.73 को ही वादी ने प्रतिवादीगण को संभला दिया था तथा इस सम्बन्ध मे 3/रू0 के स्टाम्प पर एक इकरारनामा वादी ने प्रतिवादीगण को संभला दिया था एवं इससे पूर्व भी उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा चला आ रहा था जिसे लगभग 50 साल का अर्सा हो चुका है। वाद पत्र का चरण नम्बर 3 पूर्णतया गलत है स्वीकार नही है । वादी का उक्त आराजीयात या उसके किसी भाग पर कभी कोई कब्जा व काश्त नही रहा है। इस भूमि पर आज भी मौके पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त है। उक्त आराजीयात सन 1973 से पूर्व से प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है। कब्जे का इन्द्राज प्रतिवादीगण के नाम खसरा परिवर्तनशील मे दर्ज चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात पर 50 सालो से भी अधिक समय से लगातार निर्बाध रूप से, बेरोक टोक कब्जा चलताचला आ रहा है । जिसे 12 वर्ष का अधिक समय हो जाने से प्रतिवादीगण तहत कानून भी इस भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है। जिन्हें बेदखल करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। वाद पत्र का चरण नम्बर 4 पूर्णतया गलत है, स्वीकार नही है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर बहैसियत मालिक, स्वामी के काबिज चले आ रहे है और काबिज काश्तकारान को पाबन्द कर दिया गया तो उन्हें अपरिमित अवर्णनीय हानि होगी । प्रतिवादीगण अपने जायज हक से महरूम हो जायेगे । वाद पत्र का चरण नम्बर 5 पूर्णतया गलत है स्वीकार नही है । वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई बिनाय दावा प्राप्त नही होता है । वाद पत्र का चरण नम्बर 7 गलत है स्वीकार नहीं है । वाद पत्र का चरण नं. 8 कानूनी है । जवाब की आवश्यकता नही है। वाद पत्र मे चाही गई अधियाचना पूर्णतया गलत है स्वीकार नही है। दावा वादी मय हर्जा व खर्चा खारिज योग्य है।

विशेष प्रश्न– काउण्टर क्लेम विवादित आराजीयात से वादी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। उक्त आराजीयात पर गत 50 वर्षो से भी अधिक समय से प्रतिवादीगण उत्तरदाता बहैसियत मालिक स्वामी के काबिज होकर इस भूमि को काश्त करते चले आ रहे है। वादी का इस जमीन पर एक इन्च भूमि कभी कब्जा काश्त नही रहा है। वादी ने उक्त आराजीयात जिसके खसरा नम्बरान 613, 614, 615, 626/2, 626/1/3, 626, 626/1/2, 626/1 कुल किता 5 कुल रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा वाके नगर कोट तहसील देवली पर प्रतिवादीगण से दिनाक 21–6–1973 को 15,000 रू0 की राशि नकद रूबरू गवाहान मांगीलाल व भंवरलाल के प्राप्तकर उक्त आराजीयात व चाह तथा इसके आस पास की सम्पूर्ण जमीन पर प्रतिवादीगण को कब्जा काश्त संभला दिया था और तब से ही प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात पर आज तक काबिज

होकर काश्त चले आ रहे। इस सम्बन्ध में वादी ने उक्त दिनांक को 3 रू0 के स्टाम्प पर एक इकरारनामा भी वादी ने प्रतिवादीगण के पक्ष में तहरीर व तकमील कराया था । जिसकी रू से उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण आज तक काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात पर सन 1973 से लगातार निर्बाध रूप से बेरोक टोक के कब्जा चला आ रहा है।वादी ने आज तक प्रतिवादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नही किया प्रतिवादीगण को बेदखल करनेकी अवधि भी समाप्त हो चुकी है। वादी अपने द्वारा किये गये उक्त इकरारनामा से पाबन्द है तथा उसकी स्वीकृति है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात पर गत 50 सालो से भी लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसको 12 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात के कब्जा मुखालिफाना के आधार पर भी तहत कानून खातेदार काश्तकार हो चुके है। इस कारण प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात का तन्हा खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजीयात को राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण के नाम अमल दरामद करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात पर लगातार बेरोक टोक के काबिज चले आ रहे है। वादी जबरन इस वाद की आड मे प्रतिवादीगण को बेदखल करना चाहता है। इस कारण वादी को सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह प्रतिवादीगण को इस आराजीयात से जबरन बेदखल नही करे तथा प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त मे मजाहमत नही करे । अन्यथा प्रतिवादीगण को अपार, अपरिमित, अकथनीय हानि होगी । प्रतिवादीगण अपने जायज हक से महरूम हो जायेगें। सन 1973 से लेकर आज तक वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात से काश्त करने से नही रोका । परन्तु वादी की नियत मे अब बेईमानी आ गई है तथा अब जमीनो की कीमते बढ जाने से वादी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की जमीनो को छीनने की दृष्टि से यह वाद पेश किया है। मूल रूप से उत्तर दावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा उक्त विवादित आराजीयात का प्रतिवादीगण को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण के नाम अमल दरामद कराया जावे तथा वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जावे कि वह उक्त आराजीयात या उसके किसी भाग से प्रतिवादीगण को जबरन बेदखल नही करे तथा उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड के अंकन का फायदा उठाकर हस्तान्तरित नही करे न करावे ।

वाद संख्या :–74 / 2012 उनवान हरिशंकर बनाम रतनलाल आदि

दावा बाबत इस्तकरार, स्थायी निषेधाज्ञा

इस वाद के तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1251 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 1252 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 1255 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 1257 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 1258 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 1333 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 1334 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 1348 रकबा 1.98 है0, खसरा नम्बर 1350 रकबा 1.30 है0, खसरा नम्बर 1351 रकबा 0.54 है0, खसरा नम्बर 1352 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 1354 रकबा 0.08 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 6.80 हैक्टर वाके ग्राम नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक राज. मे स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 613, 614, 615, 626/2, 626/1/3, 626, 626/1/2, 626/1 कुल रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा वाके नगरफोर्ट तहसील देवली स्थित थी। उपरोक्त आराजीयात को वादीगण ने रतनलाल पुत्र पूर्णीलाल जैन निवासी नगरफोर्ट नामक व्यक्ति से दिनांक 21.6.1973 को 15,000 रू0 की राशि नकद रूबरू गवाहान मांगीलाल व भंवरलाल को अदा कर उक्त आराजीयात व इसके आस पास की सारी जमीन व नाह जो कि कुवारी का बाग

के नाम से जाना जाता है, का कब्जा प्राप्त किया था और तत्समय उक्त आराजीयात के सम्बन्ध मे रतनलाल पुत्र धूलीलाल ने वादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता स्वर्गीय छीतरलाल धाकड़ व प्रतिवादी सं. 5 व 6 के पक्ष मे एक 3/ रु0 के स्टाम्प पर इकरारनामा बतौर तहरीर के लिखकर दी थी। जिसकी रूह से वादीगण उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर बहेसियत मालिक, स्वामी, के काबिज चले आ रहे है। उपरोक्त आराजीयात पर वादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता छीतरलाल 1/2 हिस्से पर व 1/2 हिस्से पर वादीगण संख्या 5, 6 सन 1973 से लगातार काबिज चले आ रहे है। वादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता के स्वर्गवास होने पर अब वादीगण काबिज चले आ रहे है इस प्रकार उक्त आराजीयात पर वादीगण सन 1973 से बिना किसी रोक टोक के निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज चले आ रहे है। उक्त आराजीयात पर वादीगण बहेसियत मालिक स्वामी के काबिज चले आ रहे है। इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात पर वादीगण गत 50 सालो से भी अधिक समय से काबिज चले आ रहे हैं जिनको आज तक उक्त आराजीयात से कभी बेदखल भी नही किया गया है और वादीगण की बेदखली भी समाप्त हो चुकी है। उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से का, वादीगण संख्या 1 ता 4 को तथा 1/2 हिस्से का वादीगण संख्या 5, 6 को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजीयात को वादीगण के नाम इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कराया जाना आवश्यक एवं न्याय सगत है । उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर वादीगण का गत 50 सालो से भी अधिक समय पूर्व से कब्जा व काश्त होने तथा वादीगण का कब्जा लगातार 12 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा होने से वादीगण इस आराजीयात के तहत कानून कब्जा मुखालिफाना के आधार भी खातेदार काश्तकार हो चुके है। इस कारण वादीगण को उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रतिवादी जो कि भंवरलाल का पुत्र है और उसके नाम अर्थात रतनलाल पुत्र भंवरलाल के नाम से नगरफोर्ट मे एक अन्य खाता 375 है । प्रतिवादी अब धूलीलाल का पुत्र बनकर वादीगण को उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल करना चाहता है। जबकि उक्त आराजीयात पर गत 50 वर्षो से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है इस अवधि मे कभी भी उक्त रतनलाल पुत्र भंवरलाल ने वादीगण से उक्त आराजीयात के सम्बन्ध मे विवाद नही किया और चूंकि अब जमीनो की कीमते बढ़ जाने के कारण प्रतिवादी जो कि रतनलाल जोकि भंवरलाल का पुत्र है, जबरन वादीगण से उनके कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात को छीनना चाहता है। जबकि उसका इन आराजीयात से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। उक्त रतनलाल प्रतिवादी एक तरफ तो अपने आपको भंवरलाल का पुत्र बताता है तथा दूसरी तरफ धूलीलाल का पुत्र बनता है और प्रतिवादी ने अपने नाम का गलत रूप से फायदा उठाकर वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात बैंक आफ बड़ोदा नगरफोर्ट से ऋण प्राप्त कर रखा है तथा खाता नं0 375 मे रतनलाल पुत्र भंवरलाल बनकर एस बी आई शाखा टोंक से ऋण प्राप्तकर रखा है। प्रतिवादी जो वास्तव मे भंवरलाल का पुत्र है जिसने सन 1963 से 1966 तक एस डी ओ टोंक के कार्यालय मे लिपिक के पद पर नौकरी की है और मूल रूप से टोंक का निवासी है। इस फर्जीकारी के सम्बन्ध मे वादीगण ने न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उनियारा के यहा कार्यवाही कर रखी है जो विचाराधीन है। प्रतिवादी ने उक्त आराजीयात के हाल राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम रतनलाल का फायदा उठाकर एक वाद न्यायालय हाजा मे रतनलाल बनाम श्रीनारायण आदि स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है। इस वाद मे प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था जो न्यायालय हाजा ने उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण का तन्हा कब्जा काश्त मानते हुए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को दिनांक 9.3.2012 को निरस्त कर दिया । प्रतिवादी ने थाना नगरफोर्ट मे एक प्रकरण एफ आई आर नम्बर 25/2011 वादीगण के विरूद्ध दर्ज करवायी गई जो धारा 447 379 आई पी सी के तहत दर्ज हुई। इस प्रकरण के अनुसंधान के दौरान गवाहान के बयान

लिये गये और इस आराजीयात पर वादीगण का कब्जा गत 40–50 सालो से वादीगण का होना ही पाया गया। थाना नगरफोर्ट ने उक्त आराजीयात के सम्बन्ध मे 379 आई पी सी का अपराध वादीगण द्वारा कारित किया जाना नही माना । क्योंकि वादीगण ने उक्त आराजीयात मे सरसो की फसल काश्त की और उन्ही के द्वारा काटी गई। पुलिस ने जो वादीगण के विरूद्ध 447 आई पी सी मे चार्जशीट पेश की उसमे स्पष्ट रूप से वादीगण का कब्जा 40 साल से भी अधिक समय से होना स्पष्ट रूप से अंकित किया है। इस प्रकार उक्त आराजीयात पर वादीगण का निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त साबित है। इस कारण वादीगण को उपरोक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रतिवादी का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। किन्तु प्रतिवादी की नियत मे बेईमानी आ गई हैऔर अब राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम रामलाल होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजीयात को खुर्दबुर्द व हस्तान्तरित करना चाहताहै। इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह उपरोक्त वर्णित आराजीयात अथवा उनके किसी भाग को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरित नही करे । यदि प्रतिवादीगण को पाबन्द नही किया गया तो वादीगण को अपार अपरिमित अकथनीय हानि होगी । वादीगण अपने जायज हक से महरूम हो जावेगे । मोके पर झगडे होगें, कई प्रकार की मुकदमे बाजी बढेगी । प्रतिवादी उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरित करने मे कामयाब हो जावेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप मे संभव नही हो सकेगी । बिनाय दावा आज से 15 दिन पूर्व प्रतिवादी ने उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरित करने की दृष्टि से मोके पर लोगो को लाकर आराजीयात को विक्रय करने की खुले रूप से धमकी देने पर अन्दर हद्दूद अख्तियार समाअत अदालत हाजा पैदा हुई । निवास स्थान पक्षकारान एवं मुतनाजा आराजीयात न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत वाद का न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अन्दर मियाद उचित कोर्ट फीस पर पेश है। तहसीलदार जी देवली भूधारक होने से तथा आवश्यक पक्षकार होनेसे उन्हे पक्षकार बनाया गया है। डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत इस्तकरार हक पारित फरमायी जाकर उक्त आराजीयात भूमि आराजी खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1251 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 1252 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 1255 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 1257 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 1258 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 1333 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 1334 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 1348 रकबा 1.98 है0, खसरा नम्बर 1350 रकबा 1.30 है0, खसरा नम्बर 1351 रकबा 0.54 है0, खसरा नम्बर 1352 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.08 है0, कुल किता 13 कुल रकबा 6.80 हैक्टर वाके नाम नगरफोर्ट तहसील देवली जिला टोंक के 1/2 हिस्से का वादी संख्या 1 ता 4 को व 1/2हिस्से का वादी संख्या 5,6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करवाया जावे । डिकी वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जावे कि वह स्वंय जरिये एजेन्ट नोकर रिश्तेदार या अन्य किसी दीगर व्यक्ति के उपरोक्त वर्णित आराजीयात अथवा उनके किसी भाग को खुर्द बुर्द हस्तान्तरित नही करे, रहन, दान, बेचान नही करे न करावे ।

स– खर्चा मुकदमा दिलाया जावे ।

द– अन्य जो सहायता वादीगण के हित मे हो प्रदान की जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी नं. 1 की ओर से जवाब दावा निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

वाद का का चरण नं.1 में विवादित आराजीयात ग्राम [illegible] तहसील [illegible] में स्थित होना स्वीकार है। वादपत्र का चरण नं 2 में उक्त आराजी के [illegible] खसरा नम्बर एवं कुल रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा [illegible] में होना मात्र स्वीकार है शेष इन्द्राज जिस तरह से अंकित की गई है गलत है, अस्वीकार है। श्री रतनलाल जी पुत्र स्व घुलीलाल जी ने दिनांक 21.6.73 को अथवा अन्य किसी तिथि को अपनी खातेदारी की भूमि 15 हजार रूपये अथवा अन्य किसी तिथि में किसी भी व्यक्ति को आज तक विक्रय नहीं की है। उक्त तथ्य बिल्कुल असत्य अंकित किया है। जमीन विक्रय करने संबंधी किसी प्रकार का कोई इकरार [illegible] पर नहीं लिखा गया है। विवादित सम्पूर्ण आराजी आज भी प्रतिवादी नं. 1 श्री रतनलाल के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर बतौर मालिक कब्जा चला आ रहा है। वादीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है तथा न ही उनका कब्जा है। वादपत्र का चरण नं. 3 गलत है, अस्वीकार है। विवादित आराजी पर वादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता [illegible] अथवा वादी नं 5, 6 का उक्त भूमि पर आज तक कोई कब्जा नहीं रहा है और न ही वादीगण का आज उक्त भूमि पर कब्जा है बल्कि सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी नं. 1 रतनलाल का कब्जा काश्त है। इस वर्ष न्यायालय द्वारा प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रार्थना पर रिसीवरी को स्वीकार करते हुये तहसीलदारजी [illegible] को रिसीवर नियुक्त कर रखा है जिनके द्वारा उक्त भूमि को एक वर्ष के लिये 2 लाख रूपये की नीलामी बोली पर दिया गया है जिसकी रकम भी तहसीलदार जी के कार्यालय में जमा हो चुकी है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। दावा वादीगण खारिज होने योग्य है। वादपत्र का चरण नं. 5 गलत है, अस्वीकार है। जब वादीगण का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त ही नहीं रहा तो उन्हें बेदखल करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ है। प्रतिवादी नं.1 बहैसियत खातेदार उक्त भूमि को वर्ष 1962 से लगातार काश्त करता चला आ रहा है। वादीगण उक्त भूमि को अपनी खातेदारी में उद्घोषित करने के अधिकारी नहीं है और न ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने के अधिकारी है। वाद वादीगण खारिज होने योग्य है। वाद पत्र का चरण नं. 5 गलत है, अस्वीकार है। विवादित आराजीयात पर वादीगण का आज तक कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीगण उक्त आराजी की खातेदारी अपने नाम उद्घोषित कराने के अधिकारी नहीं है बल्कि प्रतिवादी नं. 1 रतनलाल विवादित आराजी के एकमात्र खातेदार एवं काबिज चले आ रहे है जिनको खातेदारी को तहत कानून विलोपित किया जाना न्याय संगत नहीं है। वादपत्र का चरण नं. 7 में प्रतिवादी नं.1 स्व. भंवरलाल जी का जाइन्दा पुत्र है तथा खाता सं. 375 की भूमि प्रतिवादी रतनलाल को स्व. माता श्रीमति उमराव बाई पत्नि श्री भंवरलाल ने खरीदी थी जिनकी मृत्यु होने पर उक्त भूमि प्रतिवादी नं. 1 के नाम जरिये नामांतकरण के खातेदारी में अंकित हुई है। प्रतिवादी नं. 1 स्व. घुलीलाल जी के यहां गोद आ गया था इस कारण स्व0 घुलीलाल जी का दत्तक पुत्र होने से उसके द्वारा खरीदी गई विवादित आराजी में प्रतिवादी नं.1 रतनलाल ने अपने पिता घुलीलाल का गोद पुत्र होने से जमीन खरीदते समय अपने पिता का नाम घुलीलाल अंकित किया है इस प्रकार प्रतिवादी नं.1 भंवरलाल जी का जाइन्दा पुत्र होने एवं घुलीलाल जी के गोद जाने से अलग अलग भूमि में पिता का नाम अलग अलग क्रमशः भंवरलाल एवं घुलीलाल अंकित है जो राजस्व कर्मचारियों ने सही रूप से अंकित किया है। वादीगण का विवादित आराजी पर जब कब्जाकाश्त ही नहीं है तो उन्हें जबरन बदहाल किस प्रकार किया जाना अंकित किया है समझ से परे है। विवादित आराजी पर वर्ष 1962 से प्रतिवादी नं. 1 का लगातार कब्जा काश्त है तथा इस समय भी उक्त आराजी प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी में अंकित है तथा तहसीलदार जी दवली रिसिवर होने से उनके कब्जे में है। वादपत्र का चरण नं. 7 में प्रतिवादी रतनलाल पिता भंवरलाल का जाइन्दा पुत्र होना तथा स्व0 घुलीलाल का गोद पुत्र होना सही अंकित किया है जो भूमि प्रतिवादी को अपने जाइन्दा पिता भंवरलाल से विरासत से मिली है उस पर एस. डी.

जिसमें जाइ–इड टोंक सेवा प्राप्त कर रहा है तथा जो भूमि प्रतिवादी ने स्वयं ने खरीदी है तथा उसने अपने दत्तक पिता धूलीलाल का नाम अंकित है, पर बैंक ऑफ बड़ौदा नगरफोर्ट में प्राप्त किया है। प्रतिवादी नं. 1 ने सरकारी सेवा की है तथा उसके अपने सभी दस्तावेजात में मूल पिता भंवरलाल का नाम अंकित होने से नौकरी में रतनलाल पुत्र भंवरलाल के नाम से है तथा सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर नगरफोर्ट में धूलीलाल जी के गोद आने से उक्त भूमि खरीदत समय दत्तक पिता स्व. धूलीलाल जी का नाम अंकित किया है जो सही रूप से किया है। एक झूठा मुकदमा इस्तगासा के माध्यम से दर्ज करवाया था जिसकी जांच अनुसंधान अधिकारी है, में एफ आर लगा दी है, जिससे भी यह स्पष्ट होता प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है बल्कि भंवरलाल जो जाइन्दा पिता होने एवं धूलीलाल जी दत्तक पिता होने से उनके नाम अलग अलग भूमि में अलग अलग अंकित होने से वादपत्र का चरण नं. 9 में प्रतिवादी द्वारा राजस्व न्यायालय में वाद एवं प्रार्थना पर अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना स्वीकार है इसके अतिरिक्त प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र रिसिवरी भी पेश की थी जो न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाकर तहसीलदारजी देवली को रिसिवर नियुक्त किया गया है। उक्त रिसिवरी के आदेश का अपील वादीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहां पेश करने पर न्यायालय ने उक्त अपील में स्थगन आदेश दिनांक 16.7.12 को निरस्त कर दिया है तथा माननीय न्यायालय ने विवादित जमीन पर कब्जा प्रतिवादी का माना है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण खारिज योग्य है। वाद पत्र का चरण नं. 9 में प्रतिवादी द्वारा वादीगण के विरूद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया जाना स्वीकार है। उक्त प्रकरण में वादीगण को दोषी मानते हुये उनके विरूद्ध न्यायालय में चार्ज शीट पेश की गई है जो न्यायालय में लम्बित है। विवादित भूमि से वादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। दावा खारिज योग्य है। वादपत्र का चरण नं. 10 गलत है, स्वीकार नहीं है। वादीगण का आज तक विवादित आराजी पर कब्जा नहीं रहा है। वादीगण उक्त भूमि को खातेदारी अपने नाम करवाने के अधिकारी नहीं है। दावा वादीगण खारिज योग्य है। वाद पत्र का चरण नं. 11 गलत है, स्वीकार नहीं है। विवादित आराजी का प्रतिवादी नं. 1 खातेदार है, उसको अपनी जमीन से संबंधित लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। प्रतिवादी को अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग एवं हस्तान्तरित करने से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है जिससे दावा खारिज योग्य है। वाद पत्र का चरण नं. 12 गलत है, अस्वीकार है। प्रतिवादी खातेदार है उसे अपनी भूमि के उपयोग उपभोग एवं हस्तान्तरित करने से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रतिवादी को पाबंद कि गया तो वह अपने जायज हक जावेगा, उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं होगा। वादपत्र का चरण नं. 13 गलत है, स्वीकार नहीं है। वादीगण को कोई विनाय दावा पैदा नहीं हुआ है। 15 दिन पूर्व अथवा कभी भी उक्त आराजी को विक्रय करने या खुर्दबुर्द करने की धमकी नहीं दी है। उक्त तथ्य वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद पत्र का चरण नं. 14, 15, 16 कानूनी है, जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है। वाद में चाही गयी प्रार्थना अ, ब, स, द गलत है, अस्वीकार है। वादीगण न्यायालय से किसी प्रकार अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं। दावा वादीगण खारिज होने योग्य है। अतः जवाब दावा प्रतिवादी नं. की ओर से पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज होने योग्य है।

कन्सोलिडेट प्रा. पत्र स्वीकार होने से वाद संख्या 81/2011 के साथ वाद संख्या 74/2012 को कन्सोलिडेट किया गया। और वाद संख्या 81/2011 में ही दोनों वाद पर न्यायालय में विचारण किया गया।

पत्रावली में तनकियात बिन्दु कायम कर सुनाये गये।
पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र वादी पी. डब्ल्यू-1 रामलाल पुत्र श्री धूलीचंद जाति महाजन आयु 82 वर्ष निवासी नगरफोर्ट तहसील देवली, साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू-2 कजोड़ पुत्र भजन लाल जाति नाथ निवासी देवपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 व साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू-3 सिरी लाल पुत्र भजनलाल जाति नाथ निवासी देवपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 का पेश किया।

वादी साक्ष्य पी. डब्ल्यू-1 ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है- प्रदर्श-1 ग्राम नगरफोर्ट नक्शा ट्रेस, प्रदर्श-2 जमाबंदी संवत 2067-70 बाके ग्राम नगरफोर्ट, प्रदर्श-3 खसरा गिरदावरी संवत 2063 जमाबंदी संवत 2067, प्रदर्श-4 जमाबंदी संवत 2063, प्रदर्श-5, खसरा गिरदावरी संवत 2033-36, प्रदर्श-6 खसरा गिरदावरी संवत 2033-36, प्रदर्श-7 खसरा गिरदावरी संवत 2041-44, प्रदर्श-8, खसरा गिरदावरी संवत 2045, प्रदर्श-9, खसरा गिरदावरी संवत 2047 , प्रदर्श-10 खसरा गिरदावरी संवत 2048, प्रदर्श-11 गिरदावरी सलीप 2019, प्रदर्श-13 नकल मिलान बैजफल संवत 2046-65, प्रदर्श-14 मौका रिपोर्ट दिनांक 3.7.92 , प्रदर्श-15 सुपुर्दगी पत्र दिनांक 1.7.92, प्रदर्श-16 नकल फर्द निलामी 1.1.92, प्रदर्श-17 नकल फर्द निलामी 3.3. 91, प्रदर्श-18 कार्यालय भू अभि. निरीक्षक नगरफोर्ट द्वारा दिनांक 26.09.91 नकल, प्रदर्श-19 कुर्की वसूल 30.01.84, प्रदर्श-20 नकल कुर्की की घोषणा पत्र दिनांक 30.01.84, प्रदर्श-21 कुर्की की सूचना दिनांक 28.01.84,प्रदर्श-22 वारंट कुर्की दिनांक 7.1.84 का दिया गया नोटिस। पेश किये है जिससे मेरा वाद सिद्ध है।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू-1 से जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा की गई जो कलमबद्ध होकर शामिल पत्रावली है।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू-2 के तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने से इनसे जिरह निल रही।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू-3 से जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा की गई जो कलमबद्ध होकर शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता द्वारा और अधिक साक्ष्य नहीं करवाने जाहिर करने से साक्ष्यवादी बंद की गई।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य शपथ पत्र डी. डब्ल्यू-1 हरिशंकर पुत्र स्व. छीतरलाल जाति धाकड़ उम्र 60 वर्ष निवासी नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट, साक्ष्य शपथ पत्र डी. डब्ल्यू-2 श्री नारायण पुत्र स्व. कल्याण जाति धाकड़ उम्र 80 वर्ष निवासी नगरफोर्ट तहसील दूनी/नगरफोर्ट, साक्ष्य शपथ पत्र डी. डब्ल्यू-3 (पी. डब्ल्यू-3 वाद हरिशंकर बनाम रामलाल में) सरदार पुत्र सुखदेव जाति धाकड़ उम्र 57 वर्ष निवासी नगरफोर्ट तहसील दूनी/नगरफोर्ट, साक्ष्य शपथ पत्र डी. डब्ल्यू-4 राजेश शर्मा बंशीलाल जाति ब्राह्मण उम्र 52 वर्ष निवासी नगरफोर्ट तहसील दूनी/नगरफोर्ट के करवाये।

जिरह साक्ष्य डी. डब्ल्यू-1 से अधिवक्ता वादी द्वारा जिरह कलमबद्ध होकर शामिल पत्रावली है।

जिरह साक्ष्य डी. डब्ल्यू-2 से अधिवक्ता वादी द्वारा प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:- प्रदर्श-2 मिलान बैजफल, प्रदर्श-3 खसरा पत्रक, प्रदर्श-4 खसरा पत्रक पृष्ठ संख्या 251, प्रदर्श-5 खसरा पत्रक पृष्ठ संख्या 252, प्रदर्श-6 खसरा पत्रक पृष्ठ संख्या 270 सम्वत 2039, प्रदर्श-6 खसरा पत्रक पृष्ठ संख्या 271 सम्वत 2039 पेश किये है। जिरह कलमबद्ध होकर शामिल पत्रावली है।

जिरह साक्ष्य डी. डब्ल्यू-2 से अधिवक्ता वादी द्वारा जिरह कलमबद्ध होकर शामिल पत्रावली है।

जिरह साक्ष्य डी. डब्ल्यू. 3 से अभिवक्ता वादी द्वारा जिरह कलमबद्ध होकर शामिल पत्रावली है।

साक्ष्य डी. डब्ल्यू. 4 के अनुपस्थित रहने से इनसे जिरह निल रही।

प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अभिवक्ता उभयपक्ष ने लिखित बहस पेश की जो इस प्रकार है:-

वादी की ओर से लिखित बहस:-

1. वादी ने रतनलाल ने अपनी खातेदारी की जमीन वाके ग्राम नागरफोर्ट तहसील देवली बाबत एक स्थायी निषेधाज्ञा का दावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था तथा प्रतिवादीगण हरिशंकर द्वारा एक अन रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खातेदारी देने का दावा माननीय न्यायालय में पेश किया था, दोनो दावों में विवादग्रस्त आराजियात व पक्षकारान एक होने के कारण दोनों दावों को समेकित कर दिया गया था तथा न्यायालय की कार्यवाही रतनलाल बनाम हरिशंकर वाले वाद में चालू रखी गयी थी ।
2. प्रतिवादी हरिशंकर द्वारा अनरजिस्टर्ड इकरारनामे के आधार पर खातेदारी देने का दावा किया गया है जब कि उक्त अनरजिस्टर्ड दस्तावेज की लिखावट के आधार पर हरिशंकर वगैरह को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है क्योंकि उक्त लिखावट एक वर्ष के लिये 15,000/-रुपये में काश्त करने हेतु दी गयी थी । उक्त लिखावट में विवादित जमीन के बेचान बाबत कोई लिखा पढ़ी अंकित नहीं है उक्त अनरजिस्टर्ड लिखावट पर किसी प्रकार का कोई तावान भी नहीं दिया गया है स्पेसिफिक परफोरमेन्स का दावा सिविल कोर्ट में हो सकता है राजस्व न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है ।
3. प्रतिवादी हरिशंकर ने विवादित जमीन पर स्वंय का 50 वर्षों से लगातार कब्जा होना बताया है जब कि न्यायालय को पत्रावली में कब्जे बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है वादी रतनलाल द्वारा वर्ष 2011 को अपनी विवादित जमीन बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था जिस पर न्यायालय ने सन 2012 में रिसिवर नियुक्त कर दिया था जो आज तक नियुक्त है । उक्त रिसीवरी की अपील राजस्व अपील अधिकारी टोंक के न्यायालय में पेश की गयी थी जो दिनांक 19-2-2013 को खारिज कर दी है। उसके पश्चात उक्त आदेश की अपील राजस्व मण्डल में की गयी थी जहां से भी उक्त अपील खारिज कर दी गयी है ।
4. विवादित जमीन को तहसीलदार देवली द्वारा दिनांक 30-1-84 को रतनलाल जी के अन्दर पैसे बकाया होने के कारण कुर्क कर लिया गया जो दिनांक 3-7-1992 को कब्जे से मुक्त हो गयी थी और तहसीलदार द्वारा रतनलाल जी को कब्जा दे दिया गया था ।
5. कुर्क की गयी जमीन की दिनांक 3-3-91 को 10,000 रूपये में हरिशंकर ने तथा दिनांक 1-1-92 को 15,000/- रूपये में प्रभुलाल पुत्र रामलाल गुर्जर ने बोली लगाई थी और फसल प्राप्त की थी। ।
6. प्रतिवादीगण के खिलाफ धारा 379 का मुकदमा सरसों चोरी का दर्ज करवाया गया था जिसमें न्यायालय में चालान पेशकर दिया गया था, जिसकी अपील सैशन कोर्ट में की गई थी जो भी खारिज हो गई थी ।
7. उक्त जमीन का स्टाम्प 22 बीघा 17 बिस्वा बाबत लिया गया था जब कि उक्त जमीन में 5 बीघा जमीन और खातेदारी की शामिल कर दी गई थी।
8. वादी रतनलाल ने प्रतिवादीगण को 15,000 रूपये की राशि वापिस लौटा दी है सम्वत 2033 से 2036 तक की खसरा गिरदावरी में वादी रतनलाल का कब्जा अंकित है।

9. प्रतिवादी हरिशंकर वगै. द्वारा न्यायालय की पत्रावली मे लगान की कोई रसीदे भी पेश नही की गयी है, खसरा गिरदावरी के आधार पर कोई खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है । खसरा गिरदावरी कब्जे का कोई सबूत नही है।

10. वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जारहेहै–

1:– आर.आर टी. 2011 (2) 828 पेज 1408

2:– आर.बी.जे 2021 पेज 402

3:– आर.आर.टी. 2018(2) पेज 245

4:– आर.आर टी. 2018 (2) 828 पेज 1037, 1081, 1084.

5:– आर.आर टी. 2019 (3) पेज 1388

6:– आर.आर टी. 2019 (1) पेज 332 (सु. कोर्ट)

अतः लिखित बहस रतनलाल वादी की तरफ से प्रस्तुत कर निवेदन है कि हरिशंकर बनाम रतनलाल आदि वाद बाबत घोषणा खातेदारी खारिज किया जावे । वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाये तथा विवादित जमीन को रिसीवरी से मुक्त कर वादी रतनलाल को कब्जा दिलवाया जावे ।

प्रतिवादीगण हरिशंकर आदि की ओर से लिखित बहस निम्न प्रकार से पेश है:–

1. स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया वादी रतनलाल द्वारा प्रस्तुत वाद आरटीए के प्रावधानो के विपरित है। आरटीए की धारा 92ए, 188 जो निषेधाज्ञा के संबंध मे उपबन्ध करती है। उनको देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि उक्त धाराएं कहां लागू होती है, जहां आसामी का भूमि क्षेत्र पर कब्जा हो तथा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसके कब्जे में अतिक्रमण किया जाता हो या धमकी दी जाती हो। वास्तविकता यह है कि वादी रतनलाल का विवादित आराजीयात पर सन् 1973 से ही कब्जा–काश्त नहीं है। उक्त समय से ही प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात पर काबिज है तथा उनका कब्जा दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी प्रमाणित है। इस प्रकार बिना कब्जे के मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का दावा विधि के अनुसार पोषणीय नही है। जिससे वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

2. प्रतिवादी हरिशंकर द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अधिकार व आधिपत्य वर्णित साबित करने के लिए जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है, वह सन् 1973 का है जो आज से 50 वर्ष पुराना है तथा उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 यह उपबंधित करती है कि जहां कोई दस्तावेज 30 वर्ष पुराना हो तथा उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय उसके सही होने की उपधारणा करेगा तथा विरोधी पक्षकार ने इस उपधारणा का अपने किसी भी दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य से खण्डन नही किया है।

3. जहां तक विरोधी पक्ष का यह कहना है कि उक्त दस्तावेज अनरजिस्टर्ड है, जिसके आधार पर उद्घोषणा का दावा पोषणीय नहीं है उसके संबंध में स्पष्ट निवेदन है कि न्यायालय न्याय सम्यक व शुद्ध अन्तःकरण के सिद्धान्त पर कार्य करता है। न्यायालय का निर्णय ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी व्यक्ति के बेईमानीपूर्वक कार्य को बढ़ावा नही मिले। यह किसी भी सूरत मे न्यायोचित नहीं है। कोई व्यक्ति किसी सम्पति का मूल्य किसी व्यक्ति से प्राप्त कर ले तथा फिर उस सम्पति को हड़पने का प्रयास करे तो न्यायालय ऐसे अवैध कार्य करने वाले व्यक्ति का सहायक नही बनेगा तथा यदि विरोधी पक्षकार का दावा डिक्री किया जाता है तो यह न्याय साम्य व शुद्ध अंतःकरण के सिद्धान्त का उल्लंघन होगा।

4. जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उद्घोषणा नही होने वाला प्रश्न है, उसके संबंध में प्रतिवादीगण हरिशंकर वगै. का स्पष्ट निवेदन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय